न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला-पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 99/2019 (62/2017)

GCMS NO. : 2017/00086

-:: प्रार्थी ::-	बनाम	-:: अप्रार्थी ::-
1. राजस्थान सरकार जरिये भू अधिकारी तहसीलदार जैतारण जिला पाली।		1. राजेश मेवाड़ा पुत्र पूनमचन्द जाति मेवाडा (कलाल) निवासी 12 वीं पाल रोड रावण का चबूतरा, मसूरिया पुलिस चौकी के पीछे, जोधपुर।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजूः 24/09/2019

उपस्थितः. 1. सरकारी पैरोकार स्वयं।

-:: निर्णय : **दिनॉकः 16/08/2021**

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.के तहत् इस आशय का पेश किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 5-10 बीघा मौजा मुण्डावा में स्थित है। उक्त आराजी का प्रार्थी भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) है, अनावेदगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। अनावेदक नम्बर 01 उपर वर्णित जमीन को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किस्म परिवर्तित कर अवैध रूप से वाणिज्यिक (शराब ठेके की दुकान) जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे है, जिसका अप्रार्थी को कोई हक नहीं है। अप्रार्थी ने राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। अप्रार्थी द्वारा टिनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब अप्रार्थी प्रार्थना-पत्र में वर्णित जमीन से बेदखल किया जाना व अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी ऐसा करने में सफल हो जावेंगे तो प्रार्थी (राजस्थान सरकार) को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना असम्भव है। प्रार्थी का यह प्रथम दृष्टया मामला है। प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का सन्तुलन भली भांति साबित है। अतः प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र पेश कर निवेदन है कि तादौरान दावा अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे मौजा मुण्डावा की भूमि खसरा नम्बर 10 कुल रकबा 05-10 बीघा को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किसी प्रकार से अकृषि वाणिज्यिक के रूप में उपयोग में ना लेवें,

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

ना ही प्लाटिंग के रूप में किसी को विक्रय कर खुर्द बुर्द ही करें व ना ही रहन करें, मौके पर यथास्थिति बनाये रखें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायल को जरिये नोटिस के तलब किये गये। अप्रार्थी बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस सरकारी पैरोकार राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है:-

- **प्रथम दृष्टया मामला:-**

  तहसीदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना-पत्र में यह अभिकथन किये है कि अप्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग कर बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि को अवैध रूप से (वाणिज्यिक(शराब ठेके की दुकान)) अकृषि उपयोग में ली जा रही है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी उक्त कथन सुपुष्ट होते है। अतः हमारा यह स्पष्ट अभिमत है कि अप्रार्थी द्वारा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अवैध रूप से कृषि भूमि के अकृषि उपयोग में लिये जाने की स्थिति में निश्चित ही टीनेन्सी की शर्तो का उल्लंघन हुआ है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

- **सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः-**

  चुंकि प्रथम बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुआ है। साथ ही प्रार्थी द्वारा कृषि भूमि के बिना संपरिवर्तन करवाए अकृषि उपयोग में लिये जाने से राजस्थान सरकार के हितों के विपरीत कार्य करने से अधिक असुविधा एवं अपूरणीय क्षति राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार जैतारण को ही होना निश्चित है। अतः उक्त दोनो बिंदू प्रार्थी के पक्ष में साबित होते है।

उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत रहेगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी/गैरसायल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम मौजा मुण्डावास भू-अभिलेख निरीक्षक बलाडा तहसील जैतारण में खसरा नम्बर 10 रकबा 5.10 बीघा किस्म बारानी दोयम के वर्तमान भू-अभिलेख व वर्तमान मौका स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:31 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 16/08/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:31:31 IST
Reason: SelfAttested